न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक-10-12-2021

मुकदमा नम्बर 128 / 2021

1 फूलचन्द पुत्र गोविन्दाम जाति जाट निवासी सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2 हरलाल पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
– वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र सांवरमलराम
2. प्यारेलाल पुत्र सांवलराम
3. भगवानाराम पुत्र सांवलराम
4. श्यान्ति देवी पत्नी सांवलराम
5. ख्यालीराम पुत्र धूडाराम
6. भगवाना पुत्र धूडाराम
7. रूघवीर पुत्र धूडाराम
8. मालाराम पुत्र नाराणा
समस्त जाति जाट निवीसीगण सौंथली निवासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
9. राजस्थान-सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री विजेन्द्र सिंह दूत
वकील प्रति. नं. :– श्री विप्लव पंडित

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरुस्त करवाने रिकार्ड
व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 31–08–2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम सौंथली की सरहद में नया खाता संख्या 105 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 641 रकबा 1.2400 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी व काश्त की सम्पति है, जिस पर वादीगण काबिज व आबाद है एवं उपयोग–उपभोग करते है लेकिन उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलती से प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 का नाम दर्ज होने जोन से राजस्व रिकार्ड गलत बना हुआ है।

प्रश्नगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड हमेशा ही वादीगण व उनके पूर्वजों के नाम दर्ज रहा है और इसी प्रकार से कब्जा काश्त रहा है उक्त तथा पुराने राजस्व रिकार्ड से साबित है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड कभी भी प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 के नाम दर्ज नही रहा है और ना ही उनका कभी कब्जा काश्त रहा है, लेकिन नई जमाबंदी में सहवन से प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 का नाम दर्ज कर देने से राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज हो रहा है तथा उक्त गलत राजस्व रिकार्ड के कारण वादीगण के अधिकारो पर कुठाराघात हो रहा है। प्रश्नगत कृषि भूमि वादीगण के स्वामित्व व हक अधिकार की सम्पति है, जिसमें वादीगण का कानूनी अधिकार है और प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 का प्रश्नगत कृषि भूमि से कोई लेना–देना नही है परन्तु वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है इसलिए प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 का नाम हटाया जाकर प्रश्नगत भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व दुरुस्त व सही दर्ज किया जाना न्याय संगत है। है और

प्रतिवादीगण की गलत राजस्व रिकार्ड के कारण कभी स्वार्थ की भावना पैदा हो ... खुर्द–बुर्द कर सकते है, जिससे वादीगण की सख्त हकतलफी होगी। इस कारण कभी भी प्रश्नगत कृषि भूमि को विक्रय करके एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरण करके खुर्द–बुर्द कर सकते है, जिससे वादीगण की सख्त हकतलफी होगी। प्रश्नगत कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:24:48 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

की भूमि है, जिस पर काबिज व आबाद है एवं उपयोग उपभोग करते है, इसलिए वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में ज्यादा है। प्रतिवादीगण को विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की किया जाना उचित है।

राजस्व रिकार्ड की गलत दर्ज रहने से एवं प्रश्नगत कृषि भूमि खुर्द–बुर्द कर देने से वादीगण को कई प्रकार से मुकदमें दायर करने पड़ेगे जिसमें समय व धन की बर्बादी होगी और अपार क्षति होगी, जिसकी पूर्ति होना किसी भी हालत में संभव नही होगा।

उक्त वाद–पत्र के लिये वादाधिकार राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 13.08.2021 को लेने पर गलत रिकार्ड का पता चलने के रोज अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ है तथा इस प्रकार के वाद–पत्र के लिये खातेदार काश्तकार को हमेशा ही पैदा रहता है।

वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र मे अनुतोष चाहा है कि वाद बहसक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रश्नगत कृषि भूमि नया खाता संख्या 105 की भूमि खसरा नम्बर 641 रकबा 1.2400 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 का नाम नई जमाबंदी मे से हटाया जाकर व हजफ किया जाकर वादीगण को बराबर–बराबर 1/2–1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड सही व दुरूस्त किया जाकर अमल दरामद करने बाबत प्रतिवादी नम्बर 9 को आदेशित व निर्देशित किया जावे। अन्य सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो वादीगण के हक में पड़ती हो वह भी दिलवाई जावे। खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण नम्बर 1, 5, 6, 8 की ओर से वकील श्री विप्लव पंडित ने वकालतनामा मय ईकबालिया जवाब दावा पेश कर वादीगण द्वारा वाद–पत्र में चाहे गये अनुतोष को स्वीकार करने की सहमति प्रदान की गई। प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 4, 7, 9 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1, 5, 6, 8 की ओर से इकबाली जवाब दावा एवं वादीगण का वाद–पत्र पर सहमति जाहिर करने तथा प्रतिवादी संख्या संख्या 2, 3, 4, 7, 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने पर प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्कता नही रहती है।

तद्पश्चात वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 द्वारा एक लिखित राजीनामा पेश कर स्वीकार किया वादीगण द्वारा वाद–पत्र में चाहे गये अनुतोष अनुसार वादी वादीगण स्वीकार किया जाता है प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 को कोई आपति नही है।

शहादत वादी में वादी फूलचंद की उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। वादीगण ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात् सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 खाता संख्या 105 प्रदर्श–1, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 प्रदर्श–2, सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत् 2063–2066 प्रदर्श–3 आदि प्रदर्शित कराये।

शहादत पेश होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तातवेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम सौंथली की सरहद में नया खाता संख्या 105 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 641 रकबा 1.2400 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2060–2063 जो प्रदर्श 2 के अनुसार वादीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड रहा है तथा जमाबंदी सम्वत् 2063–2066 जो [illegible] में गलत राजस्व रिकार्ड दर्ज होकर वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 [illegible] से रिकार्ड इसी अनुसार चला रहा है जो गलत राजस्व रिकार्ड [illegible] भूमि का राजस्व रिकार्ड कभी भी प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 के नाम दर्ज नहीं रहा है और ना ही उनका कभी कब्जा काश्त रहा है, लेकिन नई जमाबंदी में सहवन से प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 का नाम दर्ज कर देने से राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज होने के कारण वादीगण के अधिकारो पर कुठाराघात हो रहा है। प्रश्नगत कृषि भूमि वादीगण के स्वामित्व व हक अधिकार की सम्पति है, जिसमें वादीगण का कानूनी राईट है और प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:24:48 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (का.दे.)
नवलगढ़

उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि से कोई सरोकार नही है, गलत राजस्व रिकार्ड होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजस्व रिकार्ड की गलत दर्ज रहने से एवं प्रश्नगत कृषि भूमि खुर्द–बुर्द कर देने से वादीगण को कई प्रकार से मुकदमें दायर करने पड़ेगे जिससें समय व धन की बर्बादी होगी और अपार क्षति होगी, जिसकी पूर्ति होना किसी भी हालत में संभव नही होगा। इसलिए प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 का नाम हजफ किया जाकर सम्पूर्ण भूमि का वादीगण को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना न्याय संगत है। प्रतिवादीगण की गलत राजस्व रिकार्ड के कारण कभी भी स्वार्थ की भावना पैदा हो सकती है और इस कारण कभी भी प्रश्नगत कृषि भूमि को विक्रय करके एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरण करके खुर्द–बुर्द कर सकते है, जिससे वादीगण की सख्त हकतलफी होगी। प्रश्नगत कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर काबिज व आबाद है एवं उपयोग उपभोग करते है, इसलिए वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में पाया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना उचित है। वादीगण द्वारा वाद–पत्र में चाहे गये अनुतोष के संबंध में राजीनामा एंव एकबाली जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया गया तथा वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तो कोई आपति नही होना जाहिर किया गया है। अतः प्रतिवादीगणो की ओर स्वीकारोक्ति पर अन्य कोई विवेचना की आवश्यकता भी नही रहती। अतः प्रश्नगत भूमि में वादीगण को हिस्सा 1/2–1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं सहमति के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि वाके ग्राम सौंथली की सरहद में नया खाता संख्या 105 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 641 रकबा 1.2400 हैक्टर भूमि मे से प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 का नाम हजफ कर इनके स्थान पर वादीगण प्रत्येक को 1/2 – 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है की वादीगण की घोषित खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी एंव बाधा नही पहुंचाये। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **31.08.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
अतिरिक्त कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:24:48 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 128/2021 (फूलचन्द आदि बनाम ओमप्रकाश आदि)

डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.08.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम सौथली की सरहद मे नया खाता संख्या 105 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 641 रकबा 1.2400 हैक्टर भूमि मे से प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 का नाम हजफ कर इनके स्थान पर वादीगण प्रत्येक को 1/2 – 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है की वादीगण की घोषित खातेदारी की भूमि मे किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी एंव बाधा नही पहुंचाये। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.08.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	14.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:24:48 IST
Reason: SelfAttested